झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा | पंचदश (बजट) सत्र
संख्या-12 | बुधवार, दिनांक-06 फरवरी, 2019 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.17 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाः-

माननीय सदस्य, डॉ० इरफान अंसारी तथा श्री कुणाल षडंगी द्वारा **Medical Protection Bill** लाये जाने सम्बन्धी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य किया गया ।

2.प्रश्नकालः-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-07

(क) उत्तरित कुल-03, अ० सू०-126 श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी, स० वि० स०,
अ० सू०-127 श्री बिरंची नारायण, स० वि० स० एवं
अ० सू०-128 श्री प्रदीप यादव, स० वि० स०।

(आदेश से प्रश्न संख्या- अ० सू०-128 माननीय सदस्य, श्री प्रकाश राम द्वारा पूछा गया।)

(ख) अनागत कुल-04, अ० सू०-129 से अ० सू०-132 तक।

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-72

(क) उत्तरित कुल-05, तारां०-519 श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स० वि० स०,
तारां०-520 श्रीमती बबीता देवी, स० वि० स०,
तारां०-521 श्रीमती जोबा मांझी, स० वि० स०,
तारां०-522 श्री अमित कुमार मण्डल, स० वि० स० एवं
तारां०-523 श्री पौलुस सुरीन, स० वि० स०।

(ख)अनागत कुल-67, तारां०-524 से तारां०-590 तक।

3.शून्यकालः-

आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सूचनाओं को निम्न माननीय सदस्यों द्वारा आसन की अनुमति से पढ़ी गयी-

श्री राज कुमार यादव,
श्री जगरनाथ महतो,

क्र०पृ०उ०

श्री जय प्रकाश भाई पटेल,
श्री नागेन्द्र महतो,
श्रीमती निर्मला देवी,
प्रो० जय प्रकाश वर्मा,
श्री जानकी प्रसाद यादव,
श्री कुणाल षडंगी,
श्री नारायण दास,
श्री राज किशोर महतो,
श्री ताला मराण्डी,
श्री दीपक बिरूवा,
श्री रबीन्द्रनाथ महतो,
श्री हरिकृष्ण सिंह,
श्री पौलुस सुरीन,
श्री योगेश्वर महतो,
श्री निरल पुरती,
श्री बिरंची नारायण,
श्री राज सिन्हा,
श्रीमती गंगोत्री कुजूर,
डॉ० इरफान अंसारी,
श्री लक्ष्मण टुडू,
श्री अरुप चटर्जी,
श्री आलमगीर आलम,
श्री शिवशंकर उरांव,
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी,
श्रीमती सीमा देवी,
श्री देवेन्द्र कुमार सिंह,
श्रीमती बिमला प्रधान एवं
श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता।

4.सूचनाओं का दिया जानाः-

i- राँची के जगरनाथपुर थाना इलाके से गायब हुए चार आदिवासी बच्चों की बरामदगी हेतु माननीय सदस्य, श्री राज कुमार यादव ने ध्यान आकृष्ट किया जिसे आसन के निदेश से माननीय विभागीय मंत्री द्वारा संज्ञान में लिया गया,

ii- माननीय सदस्य, श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी ने सिमडेगा जिले के कुरडेग स्थित सतमुंडा गाँव में पुलिस की उपस्थिति में छः गरीब आदिवासियों के घर जलाये जाने की ओर ध्यानाकृष्ट किया जिसे आसन द्वारा संज्ञान में लिया गया,

क्र०पृ०उ०

iii- माननीय सदस्य, डॉ० इरफान अंसारी द्वारा जामताड़ा जिले के पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को जेल भेजे जाने के बावजूद भी विभागीय कार्रवाई नहीं किये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया,

iv- माननीय सदस्या, श्रीमती बिमला प्रधान ने अपने विधान सभा क्षेत्र में उनके समर्थक के हत्यारे की गिरफ्तारी हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया,

v- माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत ने चिकित्सकों द्वारा हड़ताल किये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

vi- माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार मण्डल द्वारा अपने क्षेत्र में अवैध बालू उत्खनन पर रोक लगाये जाने की माँग आसन के माध्यम से की गयी,

vii- माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव ने बरही अनुमण्डल स्थित रामपुर को प्रखण्ड बनाये जाने की माँग की,

viii- माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही द्वारा वर्ष-2014 के आम चुनाव में कार्यरत कर्मियों के बकाये का भुगतान हेतु आसन के माध्यम से सरकार से माँग की गयी,

ix- माननीय सदस्य, श्री राज सिन्हा द्वारा धनबाद के बैंक मोड़ स्थित जर्जर हो रहे ओवर ब्रिज की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

5.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें:-

i- श्रीमती जोबा मांझी, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii- श्री रबीन्द्रनाथ महतो एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii- श्री लक्ष्मण टुडू, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iv- श्री हरकिृष्ण सिंह, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

v- श्रीमती गंगोत्री कुजूर एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

vi- श्री पौलुस सुरीन एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

vii- श्रीमती सीमा देवी, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ एवं

viii- श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

6.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

i- माननीय प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948 की अधिनियम-14) की धारा-45 के अनुसरण में दामोदर घाटी निगम का वार्षिक बजट वर्ष-2017-18 की एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी एवं

क्र० पृ०उ०

ii- माननीय सभापति, श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा नियम-216(1) के तहत प्रश्न ध्यानाकर्षण तथा सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति का 36वाँ, 37वाँ, 38वाँ तथा 39वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति आसन की अनुमति से सभा पटल पर रखी गयी।

7.आसन से सूचनाः-

कल दिनांक-07.02.2019 को द्वितीय पाली में कोई विधेयक नहीं रहने के कारण लम्बित आश्वासनों को लिये जाने विषयक सूचना से आसन द्वारा सदन को अवगत कराया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

8.विधायी कार्यः-

i- झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2019

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 एवं 03, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **''झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2019''** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

ii- झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **''झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019''** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव के सदन में अनुपस्थित रहने के कारण संशोधन प्रस्तुत नहीं हुआ।

iii-झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य आयोग विधेयक, 2019

माननीया प्रभारी मंत्री, श्रीमती लुईस मराण्डी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

क्र० पृ०उ०

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 17, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् माननीय सदस्य, सर्वश्री राधा कृष्ण किशोर, शिवशंकर उरांव, लक्ष्मण टुडू एवं श्री राम कुमार पाहन द्वारा संशोधन सम्बन्धी दिये गये सुझाव को अंगीकार करते हुए यथा संशोधित **''झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य आयोग विधेयक, 2019''** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

9.राजकीय संकल्प:-

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के माननीय मंत्री, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा दिनांक-29.01.2019 को राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृत विभागीय अधिसूचना संख्या-374(13), दिनांक-22.09.2006 तथा 294 (13), दिनांक-27.10.2015 द्वारा **The Transplantation of Human Organs Act. 1994** तथा **The Transplantation of Human Organs (Amendment) Act. 2011** को आसन की अनुमति से सदन में प्रस्तुत किया गया जो ध्वनिमत से सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

10.आसन से सूचना:-

दिनांक-07.02.2019 को द्वितीय पाली में लम्बित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को लिये जाने हेतु सदन को सूचित करते हुए आसन द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह किया गया कि सम्बन्धित सभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाओं का जवाब सुनिश्चित किया जाय तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही **गुरुवार, दिनांक-07 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न** तक के लिए स्थगित की गयी ।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

राँची,
दिनांक- 06 फरवरी, 2019 ई०।